



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 Web- <http://govt.ua.nic.in/pwd> E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक- 707 / 34व्यक-स्थाना0-सा0 / 2023

दिनांक:- 19 / 05 / 2023

—:कार्यालय ज्ञाप:-

इस कार्यालय के ज्ञापसंख्या-699/34व्यक-स्थाना0-सा0/2023 दिनांक-18.05.2023 द्वारा निर्धारित प्रारूप- 01 व 02 पर विकल्प/अनुरोध पत्र की सूचना Email ID nimisingh.pwd@uk.gov.in के माध्यम से दिनांक-30.05.2023 समय 5:00 बजे अपराह्न तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के आदेश जारी किये गये हैं। उक्त वर्णित पत्र के पैरा-11 में "सुगम से दुर्गम" त्रुटिवंश अंकित किया गया है। जिसे "सुगम से सुगम" पढा जाये।

8/1

(उपेन्द्र सिंह रावत)

वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर (अधिष्ठान)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
03. मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के संज्ञानार्थ प्रेषित।
04. समस्त मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
05. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
06. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
07. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को लोक निर्माण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
08. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
09. प्रशासनिक/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थापन-क/ख/ग/घ एवं कार्यप्रभारित वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10. गार्ड पत्रावली हेतु।

वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर (अधिष्ठान)

19/05/23



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 Web- <http://govt.ua.nic.in/pwd> E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक- 699 / 34व्यक-स्थाना0-सा0 / 2023

दिनांक:- 18/05/2023


—:कार्यालय ज्ञाप:-

इस कार्यालय के ज्ञापसंख्या-560/34व्यक-स्थाना0-सा0/2023 दिनांक-25.04.2023 द्वारा निर्धारित प्रारूप-01 व 02 पर विकल्प/अनुरोध पत्र की सूचना [Email ID nimisingh.pwd@uk.gov.in](mailto:nimisingh.pwd@uk.gov.in) के माध्यम से दिनांक-15.05.2023 समय 5:00 बजे अपराह्न तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

वर्तमान में शासकीय पत्र संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक-10.05.2023 एवं शासकीय पत्र संख्या-1/120990/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक-10.05.2023 द्वारा स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके अनुसार सुगम से दुर्गम क्षेत्र हेतु पात्रता सूची प्रकाशित करने एवं पुनः विकल्प पत्र/अनुरोध पत्र मार्गें जाने की आवश्यकता है। जिस हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-695/34व्यक-स्थानान्तरण-सा0/23 दिनांक-18.05.2023 के द्वारा सक्षम स्तर से समयवृद्धि हेतु अनुरोध किया गया है। अतः उक्त वर्णित शासनादेशों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार निम्नवत् अपना विकल्प पत्र/अनुरोध पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे:-

01. स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-7(घ)(2) से आच्छादित कार्मिकों को सुगम के एक कार्यालय/जनपद में 04 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के उपरान्त सुगम के दूसरे निकटवर्ती कार्यालय/जनपद, जहाँ पद रिक्त हो अथवा पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु जारी सूची में आंकित कार्मिक निर्धारित प्रारूप-01 पर अपना विकल्प पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
02. उक्त वर्णित शासनादेशों के अनुसार मात्र अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता अपने गृह तहसील/उपखण्ड से बाहर स्थानान्तरण (गृह जनपद के अन्तर्गत) हेतु यदि संशोधित विकल्प पत्र प्रेषित करना चाहते हों, तो प्रारूप-01 पर संशोधित आंकित करते हुये अपना संशोधित विकल्प पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
03. दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र की पूर्व प्रकाशित पात्रता सूची में सम्मिलित अभियन्ता यदि दुर्गम स्थान में ही तैनात रहने के इच्छुक है, तो निर्धारित प्रारूप-02 पर अपना अनुरोध पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं से आच्छादित कार्मिक अपना विकल्प पत्र/ अनुरोध पत्र निर्धारित प्रारूप-01 व 02 पर [Email ID nimisingh.pwd@uk.gov.in](mailto:nimisingh.pwd@uk.gov.in) के माध्यम से दिनांक- 30.05.2023 सांय 5:00 बजे तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्य माध्यमों से प्राप्त विकल्प/अनुरोध पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।


(उपेन्द्र सिंह रावत)
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (अधिष्ठान)
18/05/23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
03. मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के संज्ञानार्थ प्रेषित।
04. समस्त मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
05. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
06. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
07. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को लोक निर्माण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। (संलग्न-प्रारूप-01 व 02)
08. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
09. प्रशासनिक/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थापन-क/ख/ग/घ एवं कार्यप्रभारित वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10. गार्ड पत्रावली हेतु।

Σ वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (अधिष्ठान)
18/05/23